उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

<u>पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु</u>

- पिटकुल द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (APR) तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के अनुमोदन हेतु पीटिशन प्रस्तुत की गई। उक्त पीटिशन के माध्यम से पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के संप्रेक्षित खातों के आधार पर अन्तिम सहीकरण (Final truing up) का अनुरोध भी किया गया है।
- **आयोग द्वारा तद्नुसार इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :–**

  1. वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अन्तिम सहीकरण (final truing up)

  2. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तिम सहीकरण (final truing up) हेतु रू0 288.19 करोड़ की धनराशि का अन्तर प्रक्षेपित किया गया है जिसके विपरीत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अन्तिम सहीकरण (final truing up) कुल रू0 40.71 करोड़ का अन्तर अनुमोदित किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अन्तिम सहीकरण (final truing up) को अनुमोदित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 से आगे विस्तृत जांच की गयी।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये मांग पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:–

तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ए0टी0सी0) (रू0 करोड़ में)

उत्पादन केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015-16	
	ए0पी0आर0 आदेश में अनुमोदित	पिटकुल द्वारा प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ए0टी0सी0)	215.69	294.02	254.59
विगत वर्षो हेतु सहीकरण	16.99	288.19	40.71
कुल	232.68	582.21	295.30
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (% में)	-	150.22%	26.91%

****